Development Block Distt. Una (H.P.)
Diary No. 4123
Dated 30-12-25

सख्याः पीसीएच-AuditCell-I/754457/2025
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग हि.प्र.।

सेवा में,

1. समस्त जिला विकास अधिकारी, हि0प्र0।
2.समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हि0प्र0।
3.समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हि0प्र0।

शिमला-171009 दिनांक 27-12-2025

विषयः- ग्राम पंचायतों में प्रयोग किए जाने वाले सीमेंट के प्रयोग से सम्बन्धित अभिलेख के संधारण बारे दिशानिर्देश ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक सूचित किया ज़ाता है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (सतर्कता) हि0प्र0 सरकार द्वारा कुछ मामलों की जांच के आधार पर सरकारी सीमेंट की खरीद, प्रयोग तथा निपटान के सम्बन्ध में कुछ सुझाव विभाग को दिए गए हैं तथा इससे सम्बन्धित अभिलेख के उचित रखरखाव बारे निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है(संलग्न)। अतः पंचायतों द्वारा सम्बन्ध में करवाए जा रहे कार्यो में प्रयोग किये जा रहे सीमेंट के सन्दर्भ में, निम्न निर्देश जारी किए जाते हैः-

1. हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भते) नियम, 2002 के अध्याय-8(नियम 66-73) में स्टोर से सम्बन्धित खरीद, प्रयोग तथा अभिलेख संधारण के सम्बन्ध में वर्णित प्रावधान के अनुसार क़ार्रवाई अमल में लाई जाए।

2. हि0प्र0 खाद्य एवं आपूर्ति निगम से ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं सीमेंट प्राप्त किया जाए ।

3. अभिलेख संधारण के सम्बन्ध में पूरी जिम्मेवारी सम्बन्धित पंचायत सचिव की है। स्टोर से सम्बन्धित अभिलेख संधारण के सम्बन्ध में किसी भी कोताही के लिए सम्बन्धित पंचायत सचिव के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए।

4. ग्राम पंचायत द्वारा जिस लाभार्थी को सीमेंट जारी किया जाता है, उससे सीमेंट को स्टोर करने के स्थान से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना ग्राम पंचायत को सुनिश्चित करना होगा।

5. मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थी की निजी भूमि पर होने वाले व्यक्तिगत कार्यों में निर्माण सामग्री की सप्लाई/ अदायगी के सम्बन्ध में निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास

विभाग की ओर से दिनांक 25.05.2022 को जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना की जाए।

6. ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट की खरीद सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से प्रोफॉर्मा बिल के आधार पर की जाए तथा भुगतान भी तदानुसार किया जाए। सीमेंट प्राप्त करने के उपरांत मूल बिल प्राप्त करना ग्राम पंचायत को सुनिश्चित करना होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जिला /विकास खण्ड के अधीन की समस्त ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिवों को सरकारी सीमेंट की खरीद, प्रयोग, निपटान तथा अभिलेख संधारण के सम्बन्ध उक्त निर्देशों तथा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भते) नियम, 2002 के अध्याय-8 में वर्णित प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने बारे तुरन्त निर्देश जारी करें।

संलग्नः- यथाचर्चा

भवदीया,

Signed by
Neelam Dulta
Date: 27-12-2025 14:59:38

अतिरिक्त सचिव
पंचायती राज विभाग हि0प्र0 शिमला-09

पृष्ठांकन संख्या - उपरोक्त- शिमला-9 दिनांक 27-12-2025

प्रतिलिपिः-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (सतर्कता), हि0प्र0 सरकार शिमला -02 को उनके पत्र संख्या- Home (Vig.) A(5)-41/2025(Pvt. Person) दिनांक 07.08.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ।

Digitally Signed/-
अतिरिक्त सचिव
पंचायती राज विभाग हि0प्र0 शिमला-09

पृष्ठांकन संख्या : 15851-15896 दिनांक : 31-12-25.
प्रतिलिपि : समस्त पंचायत सचिव विकास खण्ड बंगाणा को इस निर्देश, सहित कि इन दिए निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

Block Development Officer
Development Block Bangana
Distt. Una (H.P.)